बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः 6 ए0/वि01–10129/17– 1044 पटना, दिनांकः– 24/5/18

सेवा में,

महालेखाकार
वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषयः पेयजलापूर्ति योजनाओं के प्रभावकारी ढंग से ऑन लाईन मोनेटरिंग हेतु MIS प्रणाली विकसित (हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर सहित) करने तथा इस प्रणाली को तीन वर्ष के लिए संचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल 616.15 लाख रू0 (छः करोड़ सोलह लाख पन्द्रह हजार रू0 मात्र) की योजना की स्वीकृति।

आदेशः स्वीकृत।

2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सात निश्चय के अंतर्गत राज्य के गुणवत्ता एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र/गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना" तथा राष्टीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन विभाग द्वारा कराया जा रहा है/कराया जाना है। इन योजनओं के ससमय सफल क्रियान्वयन हेतु इनका प्रभावकारी ढंग से मोनेटरिंग करने की आवश्यकता है। इस हेतु विभाग के अंतर्गत सुदृढ़ ऑन लाईन MIS प्रणाली विकसित करने हेतु हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की व्यवस्था की जानी है। इस हेतु 616.15 लाख रू0 (छः करोड़ सोलह लाख पन्द्रह हजार रू0 मात्र) की योजना तैयार की गई है, जिसका क्रियान्वयन कराया जाना है। इस प्रस्तावित योजना में पूरी MIS प्रणाली के तीन वर्ष के लिए संचालन एवं रख–रखाव का प्रावधान शामिल है। योजनाओं के विभिन्न अवयवों का विवरण परिशिष्ट– I के रूप में संलग्न है। इस योजना पर मुख्य अभियंता (ना0) का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है।

3 इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना" एवं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सपोर्ट फंड के रूप में उपलब्ध राशि से किया जायेगा। इस संदर्भ में विभागीय ज्ञापांक–6ए0/वि01–10157/17–2969, दिनांक–22.12.20107 द्वारा आदेश भी निर्गत है।

4 इस योजना पर व्यय बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत सपोर्ट फंड के रूप में उपलब्ध राशि से किया जायेगा।

5. इस राशि से योजना के अंतर्गत निहित प्रावधानों पर राशि का व्यय किया जायेगा।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

7. (योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित) वित्त के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/3378/वि0 दिनांक–31.05.17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दिनांक– 11.05.2018 को हुई विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक एवं विभागीय मंत्री महोदय द्वारा दी गयी है।

8. वर्ष 2018–19 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

9. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

23/5/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– 1044 पटना, दिनांक– 24/5/18

प्रतिलिपि:– 1. सचिव के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक)/मुख्य अभियंता (नागरिक)/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/ (प्रावैधिक सचिव, मुख्य अभियंता (नागरिक)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता (मो0)/ कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0) /उप निदेशक, (मूल्यांकन)/सहायक अभियंता (मो0) (दो प्रतियों में) / प्रशाखा–4 एवं 6/आई0टी0, मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

23/5/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव